सेवा में,
श्रीमान थानाधिकारी महोदय,
थाना मलारना डूंगर,
जिला सवाई माधोपुर, (राज०)

विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

यह की प्रार्थिया शबाना बानो पत्नी असलम खान उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर निवेदन करती है कि प्रार्थिया उक्त पतें पर स्थायी रूप से निवास करती है। प्रेमप्रकाश पुत्र कस्तूर चंद माली उम्र लगभग 48 वर्ष मो.न. 9772579878 निवासी मलारना डूंगर प्रार्थिया के माता पिता व घरवालो के साथ पुराने घनिष्ठ संबन्ध रखता है जिसके चलते एक दिन वर्ष 2010 में प्रेमप्रकाश प्रार्थिया के निवास स्थान पर आया और प्रार्थिया से कहने लगा कि वह KALPTARU BUILDTECH CORPORATION INDIA LIMITED COMPANY (KBCL) में काम करता है अगर प्रार्थिया उसके कहे अनुसार KBCL INDIA LIMITED कम्पनी में निवेश करेगी तो प्रार्थिया को भविष्य में अच्छा व दोगुना लाभांश प्राप्त होगा जिस पर प्रार्थिया द्वारा प्रेमप्रकाश से उक्त कंपनी के बारे में जानकारी नही होने व स्वयम को कम पढ़ी लिखी होने के कारण कम्पनी में निवेश पर विश्वाश नही होने की बात कही तो प्रेमप्रकाश के द्वारा कहा गया कि अगर प्रार्थिया उसके कहे अनुसार KBCL INDIA LIMITED कंपनी में निवेश करती है तो प्रार्थिया की निवेश राशि एवं लाभांश के भुगतान की गारंटी स्वयम प्रेमप्रकाश की होगी और कहा कि वह तो खुद एक सरकारी कर्मचारी है प्रार्थिया के दिये रुपए लेकर कही भाग भी नही सकता और प्रार्थिया के माता पिता व घरवालो से भी घनिष्ठ संम्बन्ध रखता है तथा प्रेमप्रकाश द्वारा प्रार्थिया को निवेश के नाम पर ली गयी समस्त राशि मय लाभांश वापिस लौटानी की गारंटी लेते हुए विश्वाश दिलाया है की अगर कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होगी तो प्रेमप्रकाश द्वारा प्रार्थिया से निवेश के नाम पर ली गई समस्त राशि वापिस लौटाने की गारंटी स्वयम उसकी होगी तथा अपनी हस्तलिखित में लिख कर भी दिया जिस पर प्रार्थिया ने प्रेमप्रकाश की बात पर विश्वास कर उसके कहे अनुसार KBCL INDIA LIMITED कंपनी मैं निवेश की हाँ कर दी। प्रार्थिया द्वारा प्रेमप्रकाश के कहे अनुसार KBCL INDIA LIMITED कंपनी में निवेश की हाँ करने के पश्चात वर्ष 2010 से प्रेमप्रकाश प्रत्येक दो तीन माह में प्रार्थिया के निवास स्थान पर आकर प्रार्थिया से KBCL INDIA LIMITED नामक कंपनी में निवेश के नाम पर कभी दस हजार रुपए कभी पांच हजार रुपए तो कभी पन्द्रह हजार रुपए के हिसाब से ले जाता और बदले में प्रार्थिया को कंपनी के नाम की रशीदें थमा देता जिसके पीछे कभी कभी तो प्रेमप्रकाश अपनी हस्तलिखित में प्राप्त की गई राशि लिखकर दे जाता और कभी बिना लिखे ही रसीदें थमा जाता। इस प्रकार प्रेमप्रकाश द्वारा कुछ समय तो प्रार्थिया से निवेश के नाम पर ली गयी राशि की रसीदें दी गयी किंतु कुछ समय पश्चात धीरे धीरे प्रेमप्रकाश ने प्रार्थिया को रसीदें देना भी बंद कर दिया और प्रार्थिया से निवेश के नाम पर लगभग चार लाख रुपए की राशि हड़प कर ली और प्रार्थिया को प्रेमप्रकाश द्वारा KBCL INDIA LIMITED कंम्पनी के बॉन्ड जिनका रजि.न. KB3818010001631 दिनांक 13/02/2010, KB3818010004778 दिनांक 31/03/2011, KB3818010009468 दिनांक 07/03/2011, KB3818010005578 दिनांक 16/11/2011 के बॉन्ड दे दिये। उक्त सभी बॉन्डों की अवधि पूरी होने के पश्चात भी प्रेमप्रकाश द्वारा निवेश के नाम पर प्रार्थिया से ली गयी राशि का भुगतान नही किया तो प्रार्थिया ने प्रेमप्रकाश से सम्पर्क कर ली गयी राशि मय लाभांश वापिस लौटाने को कहा जिसपर प्रेमप्रकाश द्वारा प्रार्थिया के निवास स्थान पर आकर प्रार्थिया की माताजी के सामने भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए कहा की अगर प्रार्थिया प्रेमप्रकाश को ऊपर वर्णित सभी बॉन्ड दे दे तो वह सभी बॉन्डों की राशि मय लाभांश अदा कर देगा जिसपर प्रार्थिया ने प्रेमप्रकाश की बात पर विश्वास करते हुए अपनी माताजी की उपस्थिति में ऊपर वर्णित KBCL INDIA LIMITED कम्पनी के सभी बॉन्ड प्रेमप्रकाश को दे दिए। प्रेमप्रकाश द्वारा प्रार्थिया से ऊपर वर्णित बॉन्ड ले जाने के पश्चात भी निवेश के नाम पर प्रार्थिया से छल कर प्राप्त की गयी राशि वापिस नही लौटाई तो प्रार्थिया जब भी प्रेमप्रकाश से राशि वापिस लौटाने की मांग करती तो प्रेमप्रकाश पहले तो कागजी कार्यवाही के नाम पर थोड़ा और रुकने की बात कहकर कुछ वर्षों तक टालता रहा। उसके पश्चात जब प्रार्थिया प्रेमप्रकाश से सम्पर्क करने की कोशिश करती तो प्रेमप्रकाश जानबूझकर प्रार्थिया से नही मिलता तथा प्रार्थिया द्वारा प्रेमप्रकाश के मोबाइल नम्बर 9667053319 पर फ़ोन करती तो प्रेमप्रकाश द्वारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और बाद में उक्त मोबाइल नम्बर को स्थायी रूप से बंद कर दिया जिस पर प्रार्थिया को प्रेमप्रकाश पर संदेह हुआ तो प्रार्थिया ने अपने पति के साथ प्रेमप्रकाश को बिना बताए उसके घर पर जाकर सम्पर्क किया और प्रार्थिया के द्वारा KBCL INDIA LIMITED कम्पनी में निवेश के नाम पर ली गयी राशि मय लाभांश के वापिस करने की मांग की तो प्रेमप्रकाश द्वारा राशि नही आने की बात कही तो प्रार्थिया द्वारा ऊपर वर्णित बॉन्ड वापिस लौटाने की बात प्रेमप्रकाश से कही तो प्रेमप्रकाश द्वारा बॉन्ड व राशि दोनों लौटाने से साफ इंकार कर दिया जिस पर प्रार्थिया के द्वारा प्रेमप्रकाश की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही तो प्रेमप्रकाश भड़क गया और

धमकी देते हुए कहा की उसने तो प्रार्थिया के कम पढ़ी लिखी होने तथा सीधेपन व भोलेपन का फायदा उठाते हुए प्रार्थिया से KBCL INDIA LIMITED कंम्पनी में निवेश करने के नाम पर छल से रुपए प्राप्त किये थे और प्रार्थिया से ली गयी सम्पूर्ण राशि KBCL INDIA LIMITED कम्पनी में जमा नही करवाकर खुद हड़प कर लिये व प्रार्थिया को तो निवेश के नाम पर प्रेमप्रकाश ने कूटरचित रसीदें बना कर दी थी और जो प्रार्थिया के नाम से KBCL INDIA LIMITED कंम्पनी के बॉन्ड थे उन बॉन्ड की निवेश राशि भी प्रेमप्रकाश द्वारा प्रार्थिया के कूटरचित हस्ताक्षर करके प्राप्त कर ली है तथा प्रेमप्रकाश प्रार्थिया से कहने लगा की अगर दोबारा रुपए मांगने आई तो अंजाम बुरा होगा और प्रार्थिया को माँ बहन की गंदी व अभद्र गालिया देना शुरू कर दिया और प्रेमप्रकाश द्वारा प्रार्थिया को धमकी दी की अगर प्रार्थिया ने रुपए मांगना बन्द नही किया और कही पर भी कोई शिकायत या कोर्ट केस किया तो वह प्रार्थिया और उसकी बच्चियों को जान से मरवा देगा या प्रार्थिया के पति को किसी झूठे मुकदमे में फंसवा देगा प्रेमप्रकाश से दुश्मनी बहुत महँगी पड़ेगी साथ ही कहने लगा कि तू अकेली नही है, तेरे साथ जो धोका किया है वो में बहुत लोगों के साथ कर चुका हूँ और आज तक कोई मेरा बाल भी बाँका नही कर सका है क्योंकि मेरी थाना तहसील कोर्ट सब में बहुत ऊंची जान पहचान है। प्रेमप्रकाश की उक्त धमकी के कारण प्रार्थिया व उसका परिवार डर एवम भय में जीवन यापन कर रहा है। प्रेमप्रकाश ने प्रार्थिया के साथ छल करने के उद्देश्य से प्रार्थिया को अच्छा लाभांश प्राप्त करने का झाँसा देकर उपरोक्त प्रकार से एक योजना व षड्यंत्र के तहत स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने व प्रार्थिया को सदोष हानि पहुंचाने के आपराधिक आशय से प्रार्थिया के साथ धोखाधड़ी व छल कारित करते हुए प्रार्थिया को झूठी प्रवंचना देकर प्रार्थिया से 400000/- रुपए की राशि हड़प कर ली व प्रार्थिया को कंम्पनी में निवेश के नाम पर कूटरचित रसीदें बना कर देदी। तथा रुपए वापसी की माँग करने पर जान से मारने तथा प्रार्थिया व उसके पति को झूठे अभियोजन व मुकदमेबाजी में फँसाने की धमकी दी व प्रार्थिया को माँ बहन की फोस फोस गालियाँ देकर धमकाया।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है की प्रेमप्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उक्त आपराधिक कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाये।

शबाना बानो

दिनांक:- 27/2/2023

प्रार्थिया।

शबाना बानो।
निवासी मलारना डूंगर
जिला सवाई माधोपुर।
मो.न9166856173
~~[illegible]~~ 9664298744
9785706968

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि एक टाईपशुदा रिपोर्ट श्रीमति शबाना बानो पत्नि अल्लम खान जाति ठेकेदार मुसलमान उम्र 34 साल निवासी मलारना डूंगर थाना मलारना डूंगर स.मा. ने उपस्थित थाना होकर पेश की। उपरोक्त रिपोर्ट की नकल अक्षरशः CCTNS कम्प्यूटर मे फीड की गई। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 420, 406, 467, 468, 384, 504, 506 IPC का वक्त मे आना पाया जाने पर तफ्तीश श्री कमलेश कुमार ASI के जिम्मे की गई। CCTNS कम्प्यूटर मे प्रविष्टि के उपरान्त जारी FIR क्रमांक पृथक से अंकित किया जावेगा। FIR की एक प्रति मुस्तगीसा को निशुल्क दी जावेगी।

शबाना बानो

[signature]
SHO
थाना - मलारना डूंगर
जिला - स.मा.
रपट न. - 21
दिनांक - 04.03.23
समय - 13.52

Note :- CCTNS से जारी FIR क्रमांक - 123